

## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



#### CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)

केमाशिबो(शैक्ष)/उस(रदी)/2023

09 जनवरी, 2023

परिपत्र संख्या: शैक्षणिक-03/2023

केमाशिबो से संबद्ध सभी संस्थानों के प्रमुख

विषयः छात्राओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के संबंध में।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

विश्व स्तर पर, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में चौथा सबसे सामान्य कैंसर है। भारत में, यह महिलाओं में दूसरा सबसे सामान्य तौर पर होने वाला कैंसर है और भारत वैश्विक सर्वाइकल कैंसर में सबसे बड़े अनुपात में योगदान देता है। यदि सर्वाइकल कैंसर का पता प्राथमिक स्तर पर चल जाए तो यह एक रोकथाम और इलाज योग्य बीमारी है और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। अधिकांश सर्वाइकल कैंसर छूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) से जुड़े होते हैं और यदि इसके वैक्सीन, लड़िकयों या महिलाओं को वायरस के संपर्क में आने से पहले दे दी जाए तो एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों को रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा अपनाई गई टीकाकरण के माध्यम से रोकथाम की पद्दति, वैश्विक रणनीति के स्तंभों में से एक है। इसके अतिरिक्त, टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) ने 9 वर्ष की आयु से नियमित परिचय के साथ, 9-14 साल की किशोरियों के लिए वन-टाइम कैच-अप सहित सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में एचपीवी वैक्सीन को प्रारंभ करने की सिफारिश की है।

विद्यालय में लड़िकयों का नामांकन अधिक होने के कारण टीकाकरण मुख्य रूप से विद्यालयों के माध्यम से (कक्षा आधारित पद्दित: 5वीं - 10वीं) प्रदान किया जाएगा। वे लड़िकयां जो अभियान के दिन विद्यालय नहीं जा पाती हैं, उनके लिए टीकाकरण स्वास्थ्य सुविधा में प्रदान किया जाएगा। टीकाकरण संख्या के पंजीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए यू-विन ऐप का उपयोग किया जा सकता है।

इस संबंध में, विद्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अभियान को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करें:

- टीकाकरण के लिए विद्यालयों में एचपीवी टीकाकरण केन्द्रों का आयोजन करना।
- समन्वय के लिए विद्यालय में एक नोडल व्यक्ति का चयन करना और टीकाकरण गतिविधियों और विद्यालय
  में 9-14 वर्ष की लड़िकयों की संख्या का मिलान और यू-विन में एकसाथ अपलोड करना।
- विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीए) के दौरान सभी अभिभावकों को विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना।



'शिक्षा सदन' ,17 राऊज़ एवेन्यू ,इंस्टीटूशनलएरिया, नई दिल्ली–110002 'Shiksha Sadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002







# य माध्यमिक शिक्ष



### CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)

परीक्षा और अवकाश के दिनों को छोड़कर विद्यालय में टीकाकरण अभियान की योजना बनाने के लिए स्वास्थ्य टीम का सहयोग करना।

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि टीके और इसके महत्व के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एचपीवी वैक्सीन के महत्व को प्रसारित करें।

> डॉ. जोसफ इमान्वल निदेशक (शैक्षणिक)

नीचे दर्शाए अनुसार संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी विद्यालयों में सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रतिलिपि:

- 1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीतसिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
- 2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा- 201309
- 3. सचिव, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार।
- 4. सचिव, सैनिक विद्यालय सोसायटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली- 110001।
- 5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक विद्यालय नयापल्ली, भ्वनेश्वर, ओडिशा-751005।
- ि शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्राना सचिवालय, दिल्ली-110054
- सार्वजनिक निर्देश निदेशक (विद्यालय), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ -160017
- शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
- 9. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 111
- 10. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर 744101
- 11. शिक्षा निदेशक, एसआईई, केमाशिबो प्रकोष्ठ, वीआईपी रोड, जंगली घाट, पीओ 744103, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- 12. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसईएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली
- 13. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली -110001
- 14. स
- 15. कि.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अन्रोध के साथ कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड के संबद्घ विद्यालयों के सभी प्रमुखों को यह परिपत्र भेजें।
- 16. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव/ वरिष्ठ निजी सचिव /विश्लेषक, के.मा.शि.बो.
- 17. सुभी प्रमुख/प्रभारी, उत्कृष्टता केंद्र, के.मा.शि.बो.
- 18. प्रूभारी आईटी यूनिट को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को के मा शि बो. की शैक्षणिक वेबसाइट पर डाला



## य माध्यमिक शिक्षा

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION (An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)

- 19. प्रभारी, पुस्तकालय
- 20. अध्यक्ष (मीडिया और जनसंपर्क), के.मा.शि.बो.
- 21. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के उप सचिव
- 22. सचिव, के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
- 23. निदेशक (शैक्षणिक), के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव 24. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
- 25. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के प्रमुख निजी सचिव
- 26. निदेशक (कौशल शिक्षा), के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
- 27. निदेशक (व्यावसायिक परीक्षा), के.मा.शि.बो. के प्रमुख निजी सचिव
- 28. निदेशक (प्रशिक्षण), के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
- 29. निदेशक (सीटीईटी), के.मा.शि.बो. के प्रमुख निजी सचिव
- 30. निदेशक (एड्सैट), के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
- 31. रिकॉर्ड फ़ाइल

निदेशक (शैक्षणिक)



